कोर्ट रीवा म0प्र0

R-3509-III/14

674
22.9.14

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

R-201-

1. रामचन्द्र भुजवा तनय श्री परान

2. रामप्रताप भुजवा तनय श्री परान

3. राजेन्द्र प्रसाद भुजवा तनय श्री परान

तीनों निवासी ग्राम जिरौंहा तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0

रामनरेश मिश्रा एड. के आज दिनांक 22.9.14 किया गया।

---आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

बनाम्

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

1. दुईजी बेवा शंभू प्रजापति निवासी ग्राम गेदुरहा (तुर्का टोला) तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0

2. शिवदास तनय श्री शंभू प्रजापति

3. भागीरथी तनय श्री शंभू प्रजापति

4. बृजलाल तनय श्री शंभू प्रजापति

5. श्यामकली बेवा पत्नी स्व0 सुखलाल

6. दिलशान तनय स्व0 श्री सुखलाल

7. अंगद तनय स्व0 श्री सुखलाल नाबालिग जरिए बली मां श्यामकली बेवा सुखलाल

8. अगनू तनय शंभू प्रसाद प्रजापति

सभी निवासी ग्राम गेदुरहा (तुर्का टोला) तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0

क्रमांक 3226 द्वारा आज 22-9-14 को प्रस्तुत

------अनावेदक/गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक डभौरा तहसील जवा द्वारा प्रकरण कमांक 24/अ-12/2013-14 मे पारित आदेश दिनांक 15.06.14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3503–तीन/14 जिला –रीवा

दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.7.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री राम नरेश मिश्रा उपस्थित होकर निगरानी की ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर तर्क प्रस्तुत किये। 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक डभौरा तहसील जवा द्वारा प्रकरण कमांक 24/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 15.6.14 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धरा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3–प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि आवेदक की भूमि न0 2/34 रकवा 0.809 है0 स्थित ग्राम गेदुरहा तहसील जवा जिला रीवा के स्वत्वधारी एवं आधिपत्यधारी है, वह उक्त भूमि पर विधिवत पूर्व में हुये सीमांकन के आधार पर काबिज दाखिल चले आ रहे हैं किन्तु अनावेदकगण द्वारा भूमि न0 2/34 रकवा 0.809 है0 सीमांकन बावत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर किये गये सीमांकन से मौके पर आवेदकगण की भूमि को प्रभावित कर दिया गया है, इससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण	

क्रमशः

सीमांकन की भूमि के सरहदी कास्तकार है। आवेदक को किसी प्रकार की सूचना एवं जानकारी दिये वगैर सीमांकन कराया गया है वह नितांत अवैधानिक एवं अनुचित है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क यह भी कहा गया है कि आवेदक की अनुपस्थिति में कथित सीमांकन कार्य किया गया है साथ ही आवेदक कमांक–1 के फर्जी हस्ताक्षर भी पंचनामा में बनाये गये है जिस कारणकथित सीमांकन कार्यवाही मात्र इसी आधार पर गलत अवैधानिक एवं सीमांकन हेतु बनाये गये नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर उचित आदेश पारित करने की कृपा की जावे।

4–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। मैंने अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया। प्रकरण में उपस्थित दस्तावेजों का अध्ययन किया गया ।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी को सीमांकन हेतु परमाना जारी किया गया । हल्का पटवारी मौके से सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन, सूचना पत्र, स्थल पंचनामा, नजरी नक्शा, सह फील्डबुक प्रस्तुत किया। उपरोक्त सीमांकन के विरूद्व किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आई, बल्कि रामचन्द्र आदि के पंचनामा पर हस्ताक्षर हैं। अगर उनको कोई आपत्ति होती तो वह अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते । उनके द्वारा कोई आपत्ति

प्रस्तुत नही की है। अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः दिनांक 15.6.14 स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य